International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 25-08-2020; Accepted: 10-09-2020; Published: 26-09-2020
www.hindijournal.com
Volume 6; Issue 5; 2020; Page No. 50-52

जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत और भारत का संविधान: तुलनात्मक अध्ययन

गजेन्द्र [1], निखिल कुमार [2], केशव चंद्र [3]

[1, 2] शोधार्थी, जवाहरलाल नेहरु विश्विधालय, दिल्ली, भारत

[3] शोधार्थी, पूर्व एशियाई अध्ययन विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश

जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक न्याय का सिद्धान्त में "अज्ञानता का पर्दा" का उल्लेख करते हुए मानते हैं कि न्याय को स्थापित करने के लिये ये एक कारगर उपाय है।भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसके महत्त्व को रॉल्स के न्याय के अवधारणा से पूर्व पहचान कर ली और भारत के संविधान में प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय के सभी पक्ष को शामिल किया गया जिसमें राजनीतिक, कानूनी तथा सामाजिक, आर्थिक पक्ष समाहित हैं तथा भारतीय संविधान में वर्णित परम्परागत आदर्शवादी संकल्पना विश्व के संघर्षरत देशों व समुदायों को लोकतांत्रिक मूल्यों, शान्ति व न्याय के मार्ग में चलने के लिये प्रेरित करता है और मानवतावादी विचारों को बढ़ाता है।

मूल शब्द: जॉन रॉल्स, भारतीय संविधान, न्याय, समतावादी, समानता, स्वतंत्रता, अम्बेडकर

प्रस्तावना

जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक न्याय का सिद्धान्त (A Theory of Justice), 1971 में लिखी उसमें उन्होंने न्याय के दो सिद्धांत बताएं. वहीं भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था हालाँकि भारत के सविधान में जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की अधिकतर बाते पहले ही लिखी/लागू की जा चुकी थी. हम अभी तक यह मानते है की जॉन राल्स का न्याय का सिद्धांत राजनितिक सिद्धांत में एक ऐतिहासिक और नया प्रतिमान (paradigm)है। लेकिन यदि हम ईमानदारीपूर्वक शोध करें, हम पाएंगे की रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से 21 वर्ष पहले ही ये तथ्य भारतीय संविधान में उल्लेखित किये जा चुके थे। इन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ को वामपंथी व पश्चिमी उदारवादी शिक्षाविदों ने उपेक्षा की। इस आलेख में हम न सिर्फ जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त का बारीकी से अध्ययन करेंगे बल्कि भारत के संविधान की मुख्य बिन्दुओं का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम तुलनात्मक अध्ययन करके रॉल्स के न्याय के सिद्धान्त और भारतीय संविधान का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे साथ ही देखेंगे की किस प्रकार इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक सभ्य समाज व विश्व का निर्माण कर सकते हैं। हम इसमें उन देशोँ की चर्चा करेंगे, जहाँ हमेशा ही गृह युद्ध चलता रहता है और इस कारण वहाँ हिंसा आतंकवाद, भुखमरी, बेरोजगारी फैलती जा रही है।

जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत

जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को जानने से पहले हमें मानव स्वभाव को जानना अति आवश्यक है। न्याय का सिद्धांत देते वक्त वे कांट, लॉक व रूसो से काफी प्रभावित थे। वे लॉक के मानव स्वभाव विचार से प्रभावित है जिसमें वह मनुष्य को एक तर्कशील प्राणी मानते हैं।साथ ही रूसो की सामूहिक हित और साधारण इच्छा से भी प्रभावित थे, वहीं कांट के नैतिक सिद्धांत से भी प्रभावित थे। उनको समतावादी व्यक्तिवादी उदारवादी चिंतक भी कहा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस समय जॉन रॉल्स ने यह किताब लिखी उस समय पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था तथा शीत युद्ध का दौर चल रहा था, वियतनाम युद्ध भी हो रहा था तथा दोनों देश यूएसएसआर और अमेरिका अपनी- अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते थे।

उन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक वस्तुओं के प्रकार बताए। उन्होंने बुद्धि एवं स्वास्थ्य, को प्राकृतिक एवं अधिकार, अवसर, आय धन एवं आत्मसम्मान को सामाजिक प्राथमिक वस्तु माना। वह एक परिकल्पना करते हैं जिसे उन्होंने "अज्ञानता का पर्दा " (Veil of ignorance) कहा जो मानव स्वभाव के ऊपर होगा और वे मानते हैं कि सभी व्यक्ति इस बात पर सहमत हो कि सभी का कम से कम नुकसान हो इसलिए वह हमें मूल स्थिति (ओरिजिनल पोजीशन) में जाना होगा। इस स्थिति में व्यक्तियों के पास सिर्फ बुद्धि होगी बाकी अपनी स्थिति का मालूम नहीं होगा। मालूम नहीं होगा की कौन क्या है तथा अज्ञानता के पर्दे में व्यक्ति को अपनी सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का नहीं पता होगा तो इसलिए जब भी वे कानून बनाएंगे तो सभी के लिए समान बनाएंगे। इसलिए उन्होंने इससे जस्टिस एज फेयरनेस(Justice as Fairness) कहा है जिसमें लिस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने न्याय के दो सिद्धांत बताए है- पहला सभी को समान स्वतंत्रता। दूसरा सभी को अवसर की समानता तथा इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए इसमें भेदभाव का सिद्धांत भी शामिल किया है। वे कहते हैं कि यह सभी के लिए खुला होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि ऐसी सामाजिक और आर्थिक असमानताओ को स्वीकार किया जा सकता है जिससे कि निचले दर्जे के व्यक्ति का भी फायदा होगा। जॉन रॉल्स इस क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।

भारत के संविधान की महत्त्वपूर्ण बातें

भारत के संविधान में भी न्याय के सभी पहलुओं का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधानिक सभा ने किया था। भारत का

संविधान कहता है कि भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। भारत के संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग तीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें अनुच्छेद 19 शामिल है, वहीं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाज के वंचित वर्गों के लिए आवश्यक कार्यों की बात कही गई है। इसके अलावा भारत के संविधान की प्रस्तावना भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है उसके अलावा अनुच्छेद 39 भी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात दोहराता है।

भारत के संविधान में वितरणत्मक न्याय की बात भी कही गई है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्गों के लिए राज्य ने जमीन, आरक्षण, नौकरी का आवंटन भी किया है। विभिन्न राज्यों में वंचित वर्गों को सरकारी जमीनें, आरक्षण दिया गया है और आवश्यक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया गया है। यह जॉन रॉल्स के दूसरे सिद्धांत के भाग में डिफरेंस प्रिंसिपल की तरह कार्य करता है जो कि आजादी के समय से ही कार्य कर रहा है।

भारत के संविधान पर प्रभाव

संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया। यह संविधान सभा भारत के लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सभा थी। इससे पहले 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। संवैधानिक सभा में प्रत्येक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। इसमें भारत के सभी वर्गों को शामिल किया गया एवं इसमें सहमति से निर्णय लिया गया और सभी को समयोजन किया गया। एम बी पायली कहते हैं कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन दिया गया। आलोचना के प्रति सहनशीलता रखी गई व दूसरों के विचारों के प्रति भी टोलरेंस रखा गया यह एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर सभी भारतीय लोग गर्व कर सकते हैं। इसके अलावा समायोजन के सिद्धांत में भारत में सभी व्यक्ति विचार विश्वास का विकास हमें देखने को मिला। डॉक्टर सुभाष कश्यप कहते हैं कि भारत के संविधान में जनमत की भारी सहमति और स्वीकृति थी।

भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व शक्ति के बंटवारे के बारे में विस्तृत तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा भारत के संविधान में हम समाजवादी राज्य पंथनिरपेक्ष राज्य महात्मा गांधी की छवि का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। भारत का संविधान न सिर्फ नैतिकता आदर्शों मूल्यों सिद्धांतों पर जोर देता है बल्कि उन लोगों से और आकांक्षाओं को पाने के लिए भी प्रयास करता है। जैसा कि ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत का संविधान एक कल्पनाशील है।लेकिन उनकी विचार भारतीय संविधान के बारे में गलत साबित हुई क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र सरकार की सफलता से साफ है कि यह कोई सिर्फ कल्पना का सिद्धांत नहीं है।

इसके अलावा प्राचीन भारत के विद्वानों और दीनदयाल उपाध्याय, सावरकर के द्वारा कही गई बातें आज भी प्रासंगिक है कि अंत्योदय अर्थात अंतिम व्यक्ति को भी विकास के साथ जोड़ना इसके कार्य में आगे बढ़ाना चाहिए।

कुछ प्रमुख वाद

भारत की न्यायपालिका भी समय-समय पर भारत के संविधान की व्याख्या करते हुए समानता स्वतंत्रता और न्याय के संबंध में अपने निर्देश देती रहती है। उदाहरण के तौर पर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाते वक्त मूलभूत अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन रखेगी वहीं इससे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक को लागू करते वक्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है वहीं 1967 के गोरखनाथ वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार सबसे पहले हैं और केंद्र या संसद कानून बनाते वक्त मूल अधिकारों की अवहेलना नहीं कर सकती।

इसके बाद प्रसिद्ध वाद जो भारतीय संविधान के लिये मील का पत्थर साबित हुआ जो 1973 के केशवानंद भारती वाद के नाम से जाना जाता है। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद या विधानसभा कानून बनाते वक्त संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ कानून नहीं बना सकती और मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता।

जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत और भारत के संविधान की समानताएं-
जॉन रॉल्स और भारत के संविधान में निम्नलिखित समानताएं है -

पहला: समय स्थिति - जिसमें जॉन रॉल्स ने यह सिद्धांत दिया उस समय पूरे विश्व में विचारधारा की लड़ाई का दौर चल रहा था वही भारत का जब संविधान निर्मित हुआ तो भारत नया-नया स्वतंत्र देश बना था और तमाम तरह का चुनौतियाँ उसके सामने थी।.

दूसरा: अज्ञानता का पर्दा- जिसमे जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक अज्ञानता का पर्दा होगा जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक राजनीतिक सम्मान के बारे में नहीं जानेगा। हालांकि यह बहुत मुश्किल है लेकिन भारत का संविधान बनाते वक्त संविधानिक सभा में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को दूर रखेंगे और देश हित के लिए कार्य करेंगे.

तीसरा: जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक बार अज्ञानता का पर्दा हट गया तो उसके बाद हमें अपने सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा उससे दूर नहीं भाग सकते। इसी प्रकार संवैधानिक सभा में संविधान बनने के बाद पूरे भारतवर्ष के लोगों पर यह लागू किया गया और आजादी के 74 साल बाद भी यह लागू है।

चौथा: जहां जॉन रॉल्स के न्याय के दोनों सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता और डिफरेंस प्रिंसिपल पर ध्यान देते हैं वही भारत का संविधान भी इसके नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और अवसर की समानता पर और पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करता है।

जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना

हालांकि यह सत्य है कि मनुष्य कभी अज्ञानता के पर्दे में नहीं रह सकता, यह कभी नहीं हुआ है इतिहास में जैसा कि मार्क्सवादी, नारीवादी, समुदायवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। यह सत्य है यदि हमें अज्ञानता के पर्दे का उदाहरण समझना है तो हम भारत के संवैधानिक सभा से स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित और सामुदायिक हितों को दूर रखते हुए देश हित को प्राथमिकता दी और यही जॉन रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे। वही हमें जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की एक आलोचना अज्ञानता के परदे से मिल जाएगी, जहां भारत के संविधान बनाते वक्त अज्ञानता के पर्दे का ऐतिहासिक वास्तविक तौर पर पहली बार लागू किया गया वहीं हम देखते हैं कि विश्व के अधिकतर देशों में आज तक अज्ञानता का पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

अफ्रीका के अधिकतर देशों में अभी तक ओरिजिनल पोजीशन नहीं आ चुकी है क्योंकि वहां पर जैसा कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि मानव का स्वभाव जॉन लाक के बताए गए स्वभाव से मिलता जुलता है। लेकिन वहां पर हमें जो उन लोग के साथ साथ और रूसो के मानव स्वभाव की भी विशेषता देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पर शक्तियों के लिए संघर्ष चलता रहता है और अफ्रीका के देश में गृह युद्ध होने का कारण लोकतंत्र में स्थापित होने का कारण उनका अपने स्वार्थों को त्याग पाने की कमी रहती है दूसरी ओर भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी जो भारत की परंपरा में विधवान थे, अफ्रीका में नहीं थे। वहीं जैसा कि रूसो ने कहा मानव जैसा समाज होगा वैसा बनेगा। उन्होंने मनुष्य को Noble Savage कहा है अर्थात जैसा समाज रहेगा मनुष्य भी वैसा ही बनेगा।

भारत में संविधान या लोकतंत्र इसलिए विकसित हो पाया क्योंकि भारत में अधिकतर व्यक्तियों ने लोकतंत्र को अपने परंपरा के तौर पर देखा। उन्होंने इसमें कोई बाहरी चीज बाहर से लागू करने के रूप में नहीं देखा। अफ्रीका के देशों में आप देखेंगे कि वहां पर लोकतंत्र को शंका की नजर और एक वर्ग के प्रभुत्व की नजर से देखा गया।

हम यहां जॉन रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशन की नहीं बल्कि भारत के संविधान की प्रासंगिकता देखने को मिलती है। अतः कोशिश करनी चाहिए कि हमें उन देशों में भारत के संविधान को बनाते वक्त और लागू करते वक्त जो नीतियां हमने अपनायी वही अफ्रीका में लागू की जा सके या फिर उनके समय और स्थिति के अनुसार लागू करें तभी हम पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात आदर्शवादी विचार में लागू कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के संविधान या कानून को किसी भी समाज या देश के ऊपर नहीं थोप सकते। हमें उनके मापदंडों, उनके तरीकों, उनके रीति रिवाजों के तहत ही उन्हीं के संदर्भ में कानून बनाने पड़ेंगे। शायद यही वजह है कि पश्चिमी देशों के द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद भी अफ्रीका के देश में आज भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है. इसका प्रमुख कारण है कि पश्चिमी देशों ने अपने हितों के लिए वहां के नक्शों को एक कमरे में बैठकर तैयार किया। जिससे धरातल पर उन दोनों समुदायों के बीच में वैमनस्य रहा और यही वजह है कि एक संविधान बनाने के बावजूद भी वे लोग उस संविधान को नहीं मानते। हालांकि यह सत्य है कि अब यह सच्चाई बहुत ही मुश्किल है कि उसको बदला जा सके लेकिन अब भी इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है तो हमें उनके देशों के विरुद्ध उन देशों के मापदंड तैयार करने होंगे। वहां पर एक ऐसा यथार्थवादी संवैधानिक प्रावधान लाने होंगे जिसके तहत वे शासन कर सके।

इसके अलावा जॉन रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में पूंजीवाद को समर्थन देते हुए कहते हैं कि यदि वह व्यवस्था अच्छी है जिससे कि सामाजिक असमानता पहले लिखी लेकिन इसमें व्यक्ति का विकास भी हो हालांकि भारत के समय में भी 1991 में नई व्यवस्था अपनाई गई इसे एल पी जी का नाम दिया जाता है। 1991 के सुधारों के बाद से भारत ने बहुत तेजी से विकास किया है हालांकि सभी क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं हो पाया। भारत में कल्याणकारी राज्य का लगातार ह्रास होता गया। गरीब और गरीब होता गया हालांकि एक वर्ग मध्यम वर्ग का भी निर्माण हुआ जो गरीबी से निकला लेकिन हमें उदारवाद और समाजवाद दोनों के बीच में एक संतुलन बैठाना होगा तभी हम एक समता मूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में प्रक्रियात्मक और वितरणात्मक न्याय के सभी पक्ष शामिल हैं जिसमें राजनीतिक, कानूनी तथा सामाजिक, आर्थिक पहलू भी शामिल है तथा भारत का संविधान सभी प्रकार के न्याय को लेकर साथ चलता है।

वही जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत भी प्राथमिक वस्तुओं का जिसमें समानता, अवसर, आय, धन और आत्मसम्मान प्रमुख है उनके वितरण के बारे में बात करता है उनके दोनों सिद्धांत व्यक्ति की आजादी और समानता के साथ जुड़े हैं। और इन सभी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार तत्पर रहे, तभी हम एक आदर्श सभ्य समाज, एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सकते हैं और फिर इसी आदर्श राज्य के सिद्धांत को हम विश्व भर जो भारत का प्राचीन मान्यता वसुदैव कुटुंम्ब उस पर लागू कर सकते हैं और तभी हम एक समतामूलक विश्व का निर्माण कर सकेंगे।

संदर्भ सूची

1. अहमद, एस. वसीम और एम् असरफ अली, "सोसल जस्टिस एंड द कोन्सटीट्यूसन ऑफ़ इंडिया. द इंडियन जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस, वॉल्यूम 67, न 4, 2006, पेज 767–782.
2. सी.कश्यप, एस. (2010), अवर कोन्सटीट्यूसन: एन इंट्रोडक्शन टू इंडियाज कोन्सटीट्यूसन एंड कोन्सटीट्यूसनल लॉ". न्यू डेल्ही, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
3. पुनीत शुक्ला (2019), "जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ़ जस्टिस: सोसल जस्टिस, डॉ अम्बेडकर एंड जॉन रोल्स
4. ऑनलाइन वेब पोर्टल https://medium.com/@akv2449/john-rawls-theory-of-justice-social-justice-dr-ambedkar-and-john-rawls-fcc19672ddf7
5. रोल्स जॉन (1971), "ए थ्योरी ऑफ़ जस्टिस" कैम्ब्रिज, मास: हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
6. राघवेन्द्र आर एच (2016), "डॉ बी आर अम्बेद्कर्स आइडियाज ओन सोसल जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी" कॉन टेम्पो रेरी वोइस ऑफ़ दलित वॉल्यूम 8(1), पेज 24-29.
7. वर्मा, विधु (2016), "कोलोनिअलिज्म एंड लिबरेशन: अम्बेद्कर्स क्वेस्ट फॉर डिस्ट्री ब्यू टिव जस्टिस" इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 34, न 39, पेज 2804-2810.